

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 94-ए/15

संस्थित दिनांक :- 24/08/15

01. बहादुर सिंह पुत्र रामचरन सिंह उम्र 63 वर्ष,
 निवासी :- ग्राम कंचनपुर, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, म.प्र.
 ----- वादी

विरुद्ध

01. बंटी सिंह उर्फ निहाल सिंह पुत्र रामभरोसी सिंह
 निवासी :- ग्राम कंचनपुर, तहसील-गोहद,
 02. सर्वसाधारण
 ----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 24/03/2016 को घोषित किया}

(01). वादी बहादुर सिंह द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 108 साक्ष्य अधिनियम प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह पुत्र रामभरोसी निवासी :- ग्राम कंचनपुर, की सिविल मृत्यु घोषित किये जाने एवं तदनुसार पारिणामिक अनुतोष के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(02). प्रकरण में प्रतिवादीगण के एक पक्षीय होने के कारण कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

(03). वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि वादी ग्राम कंचनपुर गोहद का निवासी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह वादी के चचेरे भाई रामभरोसी कौरव का एक मात्र उत्तराधिकारी एवं पुत्र था, उसके पिता रामभरोसी की मृत्यु वर्ष 1986 में हो चुकी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह की पत्नी का देहांत, बंटी उर्फ निहाल सिंह के जीवन काल में निसंतान अवस्था में हो गया था और प्रतिवादी क्रमांक 01 भी निसंतान था। प्रतिवादी क्रमांक 01 आवारा, शराबी एवं जुआरी था, उसके नाम से ग्राम कंचनपुर में लगभग 25 बीघा जमीन थी, जो कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दिनांक : 10/01/2002 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर वादी के पक्ष में विक्रय अनुबंध पत्र लिख दिया गया और मौके पर

वादी का कब्जा करा दिया गया। तभी से प्रतिवादी क्रमांक 01 की सम्पूर्ण भूमि पर वादी आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य कर रहा है। माह जनवरी 2005 से प्रतिवादी क्रमांक 01 ग्राम कंचनपुर को छोड़कर कहीं बाहर चला गया है और तब से लेकर वाद प्रस्तुति दिनांक तक प्रतिवादी क्रमांक 01 के जीवित होने के बारे में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं सुना गया। इसलिए विधि अनुसार यह उपधारणा की जानी चाहिए कि प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह का देहांत हो चुका है। उपरोक्तानुसार वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 का वैध उत्तराधिकारी है और जब वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 से कय की गई भूमि पर नामांतरण कराने के लिए न्यायालय तहसील गया तो उनके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 की सिविल डैथ घोषित कराये जाने के लिए कहा गया। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह की मृत्यु की उपधारणा करते हुए यह घोषित किया जाये कि उसकी मृत्यु हो चुकी है एवं अन्य सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का हकदार हो, वह उसे दिलाई जाये।

(04). प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 सर्वसाधारण समाचार-पत्र में समन के प्रकाशन द्वारा उन पर समन की सम्यक तामील होने के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं इसलिये उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

(05). प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं, जिनका साक्ष्य विवेचना उपरांत प्राप्त निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है :-

| क्रमांक | वाद प्रश्न | निष्कर्ष |
|---------|---|-----------------|
| 01. | क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह के जनवरी 2005 के पश्चात् जीवित होने की जानकारी उसके चाचा वादी बहादुर सिंह या यथासंभव बंटी उर्फ निहाल सिंह को जानने वाले किसी अन्य व्यक्ति को है? | “प्रमाणित नहीं” |
| 02. | क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह के जीवित होने की अन्तिम जानकारी प्राप्त हुये सात वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। | “प्रमाणित नहीं” |
| 03. | क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह ग्राम कंचनपुर स्थित किसी 25 बीघा जमीन का स्वामी एवं आधिपत्यधारी था? | “प्रमाणित” |

04. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह "प्रमाणित नहीं" ने ग्राम कंचनपुर स्थित उसकी कोई 25 बीघा जमीन का विक्रय अनुबंध पत्र पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर वादी के पक्ष में निष्पादित किया था?
05. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय ? वाद निर्णय के पद क्रमांक 12 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01 एवं 02

(06). साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

(07). इन विचारणीय विन्दु के सम्बन्ध में वादी बहादुर वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा साक्षी प्रकाश सिंह वा.सा.02 एवं हाकिम सिंह वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। वादी की ओर इस वावत् एक पंचनामा प्र.पी.02 प्रस्तुत किया गया है, जो कि कथित रूप से ग्राम पंचायत कंचनपुर, जनपद पंचायत गोहद, जिला-भिण्ड के सरपंच लक्ष्मण एवं अन्य पंचों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। प्रकाश वा.सा.02 एवं हाकिम वा.सा.03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उक्त पंचनामा प्र.पी.02 के क्रमशः ए से ए एवं बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्र.पी.02 में यह दर्शित किया गया है कि ग्राम कंचनपुर निवासी बंटी उर्फ निहाल सिंह पुत्र रामभरोसी कौरव लगभग दस वर्ष से कहीं बाहर चला गया है और उसके जीवित होने के बारे में ना ही सुना है और ना ही उसे कहीं जीवित देखा गया है। पंचनामा में यह भी उल्लेख है कि बंटी उर्फ निहाल सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वादी बहादुर सिंह ही उसका एक मात्र उत्तराधिकारी है।

(08). उल्लेखनीय है कि वादी बहादुर सिंह ने स्वयं को प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह के मृत पिता रामभरोसी का चचेरा भाई होना और इस प्रकार प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह का चाचा होना दर्शित किया है। वादी द्वारा यह भी दर्शित किया गया है कि बंटी उर्फ निहाल सिंह की पत्नी का देहांत उसके जीवनकाल में हो गया था और बंटी उर्फ निहाल सिंह निसंतान था। इस प्रकार वादी बहादुर सिंह ने स्वयं को प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी का एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी

होना दर्शित किया है। परन्तु वादी बहादुर सिंह ने कथित रूप से प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह का चाचा होते हुए भी जनवरी 2005 से कथित रूप से प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना ना होने के पश्चात् भी आज दिनांक तक इस वावत् कोई गुमशुदगी की सूचना ग्राम कंचनपुर पर क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस थाने में या किसी अन्य पुलिस या सिविल अथोरिटी को की हो, ऐसा दर्शित नहीं किया है। धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान में उल्लेखित विधि के अनुसार वादी बहादुर सिंह का उक्त बंटी उर्फ निहाल सिंह की कथित गुमशुदगी के पश्चात् भी गुमशुदगी किसी पुलिस या सिविल अथोरिटी में दर्ज ना कराने का तथ्य हस्तगत मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहज मानवीय आचरण के अनुरूप होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी दशा में मात्र वादी एवं उसके साक्षियों के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं पंचनामा प्र.पी.02 के तथ्यों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है। फलतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 को प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः उक्त विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष “प्रमाणित नहीं” के रूप दिया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 03

(09). इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में वादी बहादुर वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा साक्षी प्रकाश सिंह वा.सा.02 एवं हाकिम सिंह वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। वादी ने इस वावत् प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह पुत्र रामभरोसी निवासी ग्राम कंचनपुर की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 362891, 362818 प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 प्रस्तुत की है। उक्त भू-अधिकार ऋण पुस्तिकाओं के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह का नाम उक्त भू-अधिकार ऋण पुस्तिकाओं में भूमि सर्वे क्रमांक 917, 925, 933, 934, 945, 956, 957, 986, 988, 995, 1026, 1043, 1045, 1049, 1057, 1076, 1143, 1180, 1276, 1457, 1475, 1552, 1648, 1681, 1707, 2730, 2742, 2756, 2774, 2802, 2826, 2831, 2843, 2844, 2864, 2881, 2903, 2913, 2980, 3068, 3079 एवं 1576 के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 366081 प्र.पी.05 पर भूमि सर्वे क्रमांक 2080 के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में रामभरोसी पुत्र राधाकृष्ण का नाम दर्ज है। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह ग्राम कंचनपुर स्थित भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 25 बीघा से भी अधिक का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। फलतः इस विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 04

(10). इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में वादी बहादुर वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा साक्षी प्रकाश सिंह वा.सा.02 एवं हाकिम सिंह वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। इस वावत् वादी द्वारा कथित रूप से प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित लिखितम् विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक : 10/12/2002 प्र.पी.01 प्रस्तुत किया है। प्रथमतः तो वादी द्वारा विक्रय अनुबंध प्र.पी.01 पर निष्पादक बंटी उर्फ निहाल सिंह के हस्ताक्षरों को विधि अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है और द्वितीयतः यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि बंटी उर्फ निहाल सिंह द्वारा वादी के पक्ष में उक्त विक्रय अनुबंध पत्र प्र.पी.01 निष्पादित किया भी गया था, तब भी मात्र विक्रय अनुबंध पत्र किसी स्थावर सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्रदान नहीं करता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटी उर्फ निहाल सिंह ने ग्राम कंचनपुर स्थित उसकी कोई 25 बीघा जमीन का विक्रय अनुबंध पत्र पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर वादी के पक्ष में निष्पादित किया था। फलतः इस विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष “प्रमाणित नहीं” के रूप में दिया जाता है।

{अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय}

(11). उल्लेखनीय है कि वादी बहादुर सिंह वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों एवं मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र में यह दर्शित किया है कि जब वह बंटी उर्फ निहाल सिंह के स्थान पर नामांतरण कराने के लिए तहसील न्यायालय गया तो वहाँ उसे बंटी उर्फ निहाल सिंह की सिविल डैथ घोषित कराये जाने वावत् निर्देशित किया गया। इसका आशय यह है कि वादी बहादुर सिंह का प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह से कथित रूप से कयशुदा भूमि के राजस्व अभिलेख में नामांतरण नहीं हुआ था। लेकिन वादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 362891 प्र.पी.03 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि नामांतरण ना होने के बाद भी वादी बहादुर सिंह ने प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 362891 प्र.पी.03 पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना, के न्यायालय में लम्बित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 2363/2012 में दिनांक : 28/01/2013 को आरोपी भूप सिंह की 75,000/- रुपये की जमानत एवं न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना, के न्यायालय में लम्बित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 48/2013 एस.टी. में दिनांक : 23/03/2013 को आरोपी राजा सिंह उर्फ राजाभैया की 50,000/- रुपये की जमानत दी। बिना नामांतरण के वादी बहादुर सिंह द्वारा प्रतिवादी बंटी उर्फ निहाल सिंह की उक्त भू-अधिकार ऋण

पुस्तिका प्र.पी.03 पर उक्त आरोपीगण की जमानत क्यों दी गई, यह तथ्य वादी द्वारा उसके अभिवचनों या साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है और तथ्यों का यह छुपाव वादी के संदिग्ध आशय को प्रकट करता है।

- (12). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी उसका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (13). वादी अपना वाद—व्यय स्वयं वहन करेगा।
- (14). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (15). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.